

कार्यपालन प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल

क्र. 2293 / प्र.अ. / मॉनी / जगुस / लो.स्वा.यां.वि. / 04 भोपाल दिनांक 25.03.04

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड समस्त

विषय :- सभी नलकूपों के जल का सहयोग पूर्व परीक्षण किये जाने बाबत।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 67 दिनांक 03.01.2004 एवं पत्र क्र. 697 / दिनांक 24.01.2004 एवं पत्र क्रमांक 500 / दिनांक 15.01.2004

इस कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्देश दिये गये हैं कि समस्त नवीन श्रोतों को पेयजल के लिए चालू करने के पूर्व जल नमूनों का परीक्षण किया जावे एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही जल प्रदाय प्रारम्भ किया जावे। विशेष रूप से फ्लोराइड खारापानी एवं बैक्टीरियोलोजिकल जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण अवश्य किये जावें। इसके साथ ही साथ पूर्व से स्थापित श्रोतों का भी परीक्षण किया जावे किन्तु मैदानी अधिकारियों से जो कि परीक्षण रिपोर्ट का प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है उसके आंकड़ों से प्रतीत होता है कि कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्योंकि प्रगति प्रतिवेदन में आंकड़े नवीन प्रारंभ किये गये श्रोतों से भी कम दर्शाये गये हैं।

खनन किये गये सभी नलकूपों के पानी में फ्लोराइड खारेपानी आर्सेनिक नाइट्रेट तथा जीवाणु परीक्षण सभी श्रोतों में अनिवार्य रूप से तत्काल करवाकर सूचित किया जावे ऐसे सभी श्रोत जो उपयोग में लाये जा रहे हैं किन्तु जिनका परीक्षण अभी नहीं किया उनका भी परीक्षण करवाया जाकर इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

इस अत्यंत महत्व दिया जावे। आदेशों के पालन न किये जाने पर यदि कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए संबंधित कार्यपालन यंत्री व्यक्तिगत रूप से स्वयं जबाबदार होंगे एवं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्र. 2293 / प्र.अ. / मॉनी / जगुस / लो.स्वा.यां.वि. / 04 भोपाल दिनांक 25.03.04

प्रतिलिपि—

मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन भोपाल